पूर्व सीएम बघेल के बेटे चैतन्य के पांच दिन के ईडी रिमांड पर फैसला आज

चैतन्य कोल को कोर्ट में पेश किया गया। ● नईदुनिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : प्रदेश में हुए 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आरोपित बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

ईडी ने दावा किया कि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर पूछताछ जरूरी है। इसके लिए ईडी ने कोर्ट में चैतन्य की पांच दिन की पुलिस रिमांड देने का आवेदन किया। हालांकि, कंडोलेंस (शोकसभा) की वजह से रिमांड पर सुनवाई नहीं हो सकी। आज मंगलवार को ईडी और बचाव पक्ष दोनों की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी। विशेष कोर्ट ने चैतन्य को एक दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

सोमवार सुबह करीब 11 बजे चैतन्य को केंद्रीय जेल से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट लाया गया। ईडी की वकील ने कोर्ट में कहा कि घोटाले से जुड़े नए तथ्य मिले हैं और उनकी तह तक जाने के लिए आरोपित से पूछताछ जरूरी है। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई चार अगस्त को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने चैतन्य को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था। चैतन्य की गिरफ्तारी को लेकर उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार करते हुए हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

डेढ़ माह से जेल में बंद

ईडी ने चैतन्य को उनके जन्मदिन के दिन 18 जुलाई को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। बीते डेढ़ माह से वे जेल में बंद हैं।